हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

No. 23 /BSEH/COND. Dated 07.09.2026

''प्रेस नोट''

- विद्यालय नए परीक्षा केन्द्र के लिए 30 सितम्बर 2026 तक कर सकते हैं आवेदन।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा–2027 के लिए राजकीय, अनुदान प्राप्त व अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने भवन में नया परीक्षा केन्द्र बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित 30 सितम्बर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

जो विद्यालय सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी की वार्षिक परीक्षा–2027 के लिए नए परीक्षा केन्द्र बनवाना चाहते है, वह बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध परीक्षा केन्द्र स्थापना फार्म को डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर अपने सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी की सिफारिश सहित निर्धारित तिथि 30 सितम्बर, 2026 तक बोर्ड कार्यालय में दस्ती/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा/भेज सकते हैं। नए परीक्षा केन्द्र बनवाने सम्बंधित आवश्यक दिशा–निर्देश एवं नियम/शर्तें बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध प्रोफार्मा में अंकित है।

सैकेण्डरी परीक्षा के नए केन्द्र हेतु कम से कम 200 परीक्षार्थी एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के लिए 150 परीक्षार्थियों का होना आवश्यक है। नए परीक्षा केन्द्र के लिए 12000/–रूपये परीक्षा केन्द्र स्थापना एवं 3000/–रूपये निरीक्षण शुल्क जमा करवाने होंगे।

नए परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु आवेदन फार्म के साथ भवन की योजना तथा परीक्षा केन्द्र के लिए भवन के जिस भाग को प्रयोग किया जाना है वह हिस्सा लाल पेंसिल से अंकित किया जाना आवश्यक है। यह भी अंकित किया जाना है कि हॉल और कमरे आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, प्रत्येक कमरे व हॉल का माप भी दर्शाया जाना है। विद्यालय मुख्य सड़क के पास हो तथा विद्यालय में 16 सी0सी0टी0वी0 कैमरों (13 कमरों में, 1 कन्ट्रोल रूम/केन्द्र अधीक्षक के कमरे में व 2 विद्यालय परिसर को कवर करने में) की व्यवस्था होनी आवश्यक है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए डैस्क होने अनिवार्य होंगे।

हस्ता/–
सचिव